

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ – 250110



पत्रांक : सवप/2025/नि0प्र0अनु0/361

दिनांक : 06/09/2025

कार्यालय आदेश

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियम दिनांक 14.11.2014 से आज दिनांक तक शासनादेश संख्या-1178/67-कृषिअ-14-500(6)/14 दिनांक 14.11.2014 द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रभावी है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा-29(6) के अधीन माननीय कुलाधिपति के पत्र संख्या-207/जी0एस0 दिनांक 13.01.1998 के माध्यम से परिनियमावली के अध्याय-XIII में महाविद्यालयों के अधिष्ठाता नामित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है। उक्त के क्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की माननीय प्रबन्ध परिषद की 61वीं बैठक दिनांक 20 अगस्त, 2025 के प्रस्ताव संख्या-61.8 के प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में विश्वविद्यालय में संचालित महाविद्यालयों के अधिष्ठाता नामित करने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की जाती है-

“No advertisement in newspaper shall be necessary in the case of an appointment for the post of Dean. Appointment to this post shall be made by a selection committee duly constituted as per clause 4(a)2 of Chapter-XIII of Statutes in the manner prescribed hereinafter.”

4(a)(1). The Dean of faculty shall be appointed from amongst the professor in the faculty concerned.

4(a)(3). The term of the Dean shall be three years.

(a)(4). The term of Dean so appointed can be extended for a further period of three years, but in no case a dean can hold the post for more than two terms.

यह आदेश माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

06/09/2025
निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि :

1. वित्त नियंत्रक/सचिव माननीय प्रबन्ध परिषद।
2. अधिष्ठाता, कृषि/जैवप्रौद्योगिकी/वेटनरी/पी.जी.एस./पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी/टैक्नोलॉजी /उद्यान महाविद्यालय/ओ.एस.डी. गन्ना महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र/निदेशक प्रसार
4. कुलसचिव
5. डा0 दीपक सिसौदिया, प्राध्यापक/प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।